

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


क्रमांक-एफ 19-12 /2018 /17/ मेडि-1/

भोपाल, दिनांक 23/4/2018

:: आदेश ::

डॉ. तृप्ति भार्गव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर के विरुद्ध शासन के पत्र क्रमांक/एफ 19-12/2018/17/मेडि-1/भोपाल, दिनांक 07/02/2018 द्वारा कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्रतिवाद उत्तर समयावधि में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं कवीन्द्र कियावत, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ.तृप्ति भार्गव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर के विरुद्ध आरोपित तथ्यों की जांच हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14(5) के अंतर्गत विभागीय जांच आदेशित करता हूँ।


इस विभागीय जांच में श्री आर.सी.सक्सेना सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री अशोक गुप्ता, प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन दो माह में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

  
(कवीन्द्र कियावत)

सचिव  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को डॉ. तृप्ति भार्गव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर को तामिल करवाकर तामिली प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. श्री आर.सी.सक्सेना, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर जॉचकर्ता अधिकारी, लक्ष्य-2 चिनार फार्च्युन सिटी, होशंगाबाद रोड, भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्री अशोक गुप्ता, प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर आवश्यक दस्तावेज प्रेषित कर लेख है कि जॉच अधिकारी के समक्ष विभाग का पक्ष प्रस्तुत करें।
8. डॉ. तृप्ति भार्गव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ।
9. स्टाक फाईल।

  
सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


कमांक-एफ 19-13 / 2018 / 17 / मेडि-1 /

भोपाल, दिनांक 23/4/2018

:: आदेश ::

डा. भूपेश महावर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर के विरुद्ध शासन के पत्र कमांक/एफ 19-13/2018/17/मेडि-1/भोपाल, दिनांक 07/02/2018 द्वारा कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्रतिवाद उत्तर समयावधि में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं कवीन्द्र कियावत, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डा. भूपेश महावर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर के विरुद्ध आरोपित तथ्यों की जांच हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14(5) के अंतर्गत विभागीय जांच आदेशित करता हूँ।

इस विभागीय जांच में श्री आर.सी.सक्सेना सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री अशोक गुप्ता, प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन दो माह में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

  
(कवीन्द्र कियावत)

सचिव  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करावे।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को डॉ. भूपेश महावर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर को तामिल करवाकर तामिली प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. श्री आर.सी.सक्सेना, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर जॉचकर्ता अधिकारी, लक्ष्य-2 चिनार फार्च्युन सिटी, होशंगाबाद रोड, भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्री अशोक गुप्ता, प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर आवश्यक दस्तावेज प्रेषित कर लेख है कि जॉच अधिकारी के समक्ष विभाग का पक्ष प्रस्तुत करें।
8. डॉ. भूपेश महावर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ।
9. स्टक फाईल।

  
सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश